पत्रांक–अ0स0क0–08–03 / 2010 ....

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

3620
17.2.20

प्रेषक,

डॉ० अमीर अफ़ाक अहमद फ़ैज़ी
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक : ....

विषय : नालंदा जिलान्तर्गत बी० बी० सोगरा, अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, बिहारशरीफ परिसर का बाउंडरीवाल ऊँचा करने के साथ ग्रीलींग कार्य, पहुँचपथ के विकास एवं साईकिल स्टैंड निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल ₹ 15,38,100 / – (पंद्रह लाख अड़तीस हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत ।

नालंदा जिलान्तर्गत बी० बी० सोगरा, अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, बिहारशरीफ का निर्माण कार्य मॉडल प्राक्कलन एवं नक्शा के आधार पर किया जा चुका है, साथ ही वह संचालित भी है। नालंदा जिलान्तर्गत बी० बी० सोगरा, अल्पसंख्यक बालक छात्रावास, बिहारशरीफ परिसर का बाउंडरीवाल ऊँचा करने के साथ ग्रीलींग कार्य, पहुँचपथ के विकास एवं साईकिल स्टैंड निर्माण कार्य हेतु अभियंता प्रमुख –सह– अपर आयुक्त –सह– विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना (पत्रांक– 572(भ)अनु० दिनांक– 17.01.2020) द्वारा ₹15,38,100 / –(पंद्रह लाख अड़तीस हजार एक सौ) का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विभाग को प्राप्त हुआ है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3758 / वि० दिनांक–31.05.2017 की कंडिका– 4(क)(1) में निहित प्रावधान के तहत निम्न विवरणी के अनुसार प्रदान की जाती है :–

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि
1	Estimate for Raising of Boundary wall with Grilling work and Approach Road in the campus of B.B. Soghra Minority Hostel Building Biharsharif	₹ 12,27,900 / –
2	Estimate for Construction of Cycle Stand in the campus of B.B. Soghra Minority Hostel Building Biharsharif	₹ 3,10,200 / –
	कुल	**15,38,100 / –**

2. उक्त स्वीकृत राशि राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष–4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय– उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–051 निर्माण उपशीर्ष–0103– अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) विपत्र कोड 03–4225800510103 विस्तृत शीर्ष– 53 मुख्य निर्माण कार्य विषय शीर्ष– 01– मुख्य निर्माण कार्य मांग संख्या– 03 के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग के माध्यम से विकलनीय होगा।

कृ०पृ०उ०

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग के सक्षम पदाधिकारी होंगे जिसे भवन निर्माण विभाग के द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा।
4. स्वीकृत्यादेश में सन्निहित राशि के मामले में वित्त विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/ निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा जिला पदाधिकारी/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, नालंदा द्वारा की जायेगी एवं समय–समय पर प्रगति प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जायेगा।

विश्वासभाजन
ह०/–
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक :– 692
पटना, दिनांक– 17/02/2020

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक 14/2